

भण्डार क्रय कार्यालय  
गो० ब० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर


पत्रांक: भ०क्र०का०/2021-22/|63|

दिनांक- 08 अप्रैल, 2021

समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/इकाई प्रभारी (वाह्य शोध केन्द्रो सहित)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय को अधिसूचना संख्या 51/96-Customs दिनांक 23.07.1996, 45/2017- केन्द्रीय कर (दर), 47/2017- एकीकृत कर (दर) व 47/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 14.11.2017 के अन्तर्गत वस्तु एवं सेवा कर (GST)/सीमा शुल्क (Custom Duty) में रियायती दरों का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र एवं प्रमाण-पत्र के संशोधित प्रारूपों को लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। अनुमोदित आवेदन पत्र एवं प्रमाण-पत्र के प्रारूपों की प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अतः समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/इकाई प्रभारी (वाह्य शोध केन्द्रो सहित) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधीनस्थ समस्त विभागों/कार्यालयों/प्रसार अथवा शोध केन्द्रों में संलग्न प्रारूपों को प्रसारित करते हुए, नियन्त्रक कार्यालय के परिपत्र संख्या Vi.Ni./GST/2018-19/634 दिनांक 26 जून, 2018 में उल्लिखित अर्ह सामग्रियों/उपकरणों की अधिप्राप्तियों के सापेक्ष वस्तु एवं सेवा कर (GST)/सीमा शुल्क (Custom Duty) पर छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संशोधित प्रारूपों का प्रयोग सुनिश्चित करेंगे।

  
प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय

प्रतिलिपि:

1. नियंत्रक को सूचनार्थ।
2. निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण को सूचनार्थ।
3. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय